

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा /पीएसपी-सी /अ-2 /60567 /के. मा. शि. बो./2023-24/..161-162

दिनांक: 24/04/23

TO

From

विद्यालय का नाम :- CHANDGIRAM GLOBLE SCHOOL BAIRASAR CHHOTA (P49061)

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

विद्यालय का वर्तमान पता :- BAIRASAR CHHOTA TEH -  
RAJGARH DIST - CHURU (RAJAST)

संस्था का नाम :- CHANDGIRAM MEMORIAL WELFAIR  
SOSAYATI

आवेदन क्रमांक :-42381

एनओसी कोड:- RJCHU32756

Sir/Madam,

विषय:- सत्र 2023-24 के लिए सी.बी.एस.सी.ई/सी.आई.एस.सी.ई /सीएआईई नई दिल्ली से संबद्धता प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी विद्यालय CHANDGIRAM GLOBLE SCHOOL BAIRASAR CHHOTA (P49061) BAIRASAR CHHOTA TEH - RAJGARH DIST - CHURU (RAJAST) को अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ:- राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं नियम 2011 तथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 के अधीन उप पंजीयक कार्यालय द्वारा पंजीकृत संस्था CHANDGIRAM MEMORIAL WELFAIR SOSAYATI के अन्तर्गत संचालित गैर सरकारी विद्यालय CHANDGIRAM GLOBLE SCHOOL BAIRASAR CHHOTA (P49061) को शैक्षिक सत्र 2023-24 से प्रदत्त कक्षा 01 से 08 तक की मान्यता के संदर्भ में।

विद्यालय का विवरण -

|  |   |
|--|---|
| विद्यालय का नाम -                                | CHANDGIRAM GLOBLE SCHOOL BAIRASAR CHHOTA (P49061)   |
| सर्वे संख्या /प्लॉट संख्या / खसरा संख्या / पता - | BAIRASAR CHHOTA TEH - RAJGARH DIST - CHURU (RAJAST) |
| गांव/शहर -                                       | BAIRASAR CHHOTA                                     |
| तहसील/कस्बा -                                    | RAJGARH   |
| मान्यता कोड -                                    | RJCHU32756  |
| विद्यालय का पीएसपी कोड                           | P49061  |

नोट :NIC विभिन्न स्कूलों / डीईओ (मा.शि.)/ निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डीईओ(मा.शि.)/ निदेशालय जिम्मेदार होंगे।



# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## प्रमाण-पत्र

सत्र 2023-24 हेतु CBSE/CISCE/CAIE नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पत्रांक : प.14(8)शिक्षा-1/2009/पार्ट-8 दिनांक : 30.03.2022 की पालना में गैर सरकारी विद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख सत्र, माध्यम, कक्षा स्तर, संकाय, विषय आदि के लिए CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता प्राप्ति हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है

1. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल वर्ष 2023-24 के लिए ही मान्य होगा
2. विद्यालय/संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम 1993 तथा संशोधित नियम-2011 की पालना की जावेगी।
3. विद्यालय/ संस्था द्वारा राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में भागीदारी निभाई जावेगी।
4. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बालवाहिनी के क्रम में जारी किए गए दिशा-निर्देशों की अक्षरक्षः पालना की जावेगी।
5. विद्यालय/संस्था द्वारा भारत सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसरण में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / नियमों की अक्षरक्षः पालना की जावेगी। इसके तहत 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा एवं आरटीई प्रवेशित से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना सुनिश्चित करना होगा।
6. विद्यालय द्वारा (डे स्कूलर/बोर्डिंग) कक्षा 1 से ही कक्षाओं का संचालन मान्यता प्रदत्त स्तर तक किया जाना होगा।
7. विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से मान्यता प्राप्त है तो CBSE/CISCE/CAIE से सम्बद्धता मिलने पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को सूचित करना होगा। साथ ही विद्यालय की राजस्थान बोर्ड से संबद्धता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
8. विद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित किया जाना एवं इसके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाना होगा।
9. विद्यालय/संस्था परिसर में मोबाईल टावर स्थापित नहीं करेगी।
10. राजस्थान विद्यालय ( फीस का विनियमन ) अधिनियम - 2016 नियम 2017 में वर्णित शर्तों की पालना की जानी होगी।
11. राज्य सरकार एवं राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का समय-समय पर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा समय-समय पर विभाग एवं शासन द्वारा वांछित रिकार्ड एवं दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
12. विद्यालय में दिव्यांग जनों के लिए रैम्प एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेगी।
13. भारत सरकार/राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना की जानी होगी।
14. भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता होने पर विद्यालय भवन का अधिग्रहण/उपयोग राजकीय कार्य के लिए किया जा सकेगा।
15. विद्यालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति प्राप्त कक्षा स्तर तक ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर विभाग द्वारा राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम-1989 एवं नियम 1993 एवं संशोधित नियम 2011 के तहत विद्यालयों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्यालयों को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जायेगा। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त संस्था राज्य में विद्यालय का संचालन नहीं कर सकेगी।

|                                   |   |                          |                     |
|-----------------------------------|---|--------------------------|---------------------|
| जिला                              | CHURU   | ब्लॉक                    | RAJGARH             |
| विद्यालय का नाम                   | CHANDGIRAM GLOBLE SCHOOL BAIRASAR CHHOTA (P49061) |                          |                     |
| संबंधता ( CBSE/CISCE/CAIE )       | CBSE  |                          |                     |
| एन.ओ.सी. प्रमाण जारी करने का सत्र | 2023-24   | माध्यम                   | English             |
| विद्यालय मान्यता प्राप्त स्तर     | Upper Primary (1-8)                               | एन.ओ.सी. हेतु कक्षा स्तर | Upper Primary (1-8) |

नोट:- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग विद्यालय को विभाग द्वारा जारी मान्यता कक्षा स्तर/ संकाय/विषय/माध्यम के संबंध में ही उपयोग किये जाने हेतु संबंधता की एनओसी प्रदान की जाती है।

The Section and its record shall be opened for inspection by an Officer/Official of the Board or an authorized representative of Board/State educational Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State Government from time to time.

The school Management shall be having full responsibility if any court case arise in this regard. The details furnished if any by the management is found to be false or incorrect at any stage, this No Objection Certificate is liable to be cancelled



*(Signature)*

निदेशक  
आई.ए.एस  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

नोट :NIC विभिन्न स्कूलों / डीईओ (मा.शि.) / निदेशालय कार्यालय द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अस्वीकार करता है। डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डीईओ(मा.शि.) / निदेशालय जिम्मेदार होंगे।



भारतीय स्टेट बैंक  
State Bank of India  
जारी करने वाली शाखा  
Issuing Branch: KARNI NAGAR (LALGARH)  
कोड नं. / CODE No: 32052  
Tel No. 00151-222300

मांगड्राफ्ट  
DEMAND DRAFT

Key: YIGMAZ  
Sr. No: 153332

|   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3  |
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y9 |

नाम ज्ञानेश्वर SECRETARY, BALIKA SHIKSHA FOUNDATION, JAIPUR \*\*\*\*\*

या उनके आदेश पर

रुपये ON DEMAND PAY  
RUPEES Sixty Thousand Only

OR ORDER

अदा करें

₹

60000.00

IOI 000552251427  
Name of Applicant

Key: YIGMAZ Sr. No: 153332  
VINOD CHOUHAN

AMOUNT BELOW 60001(0/5)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक

STATE BANK OF INDIA

अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: C-SCHEME, 1, 60, 000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।  
कोड नं. / CODE No: 07888  
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
AUTHORISED SIGNATORY

*Vinod Chouhan*  
शाखा प्रबंधक  
BRANCH MANAGER

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध  
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध  
VALID IFOR 3 MONTHS ONLY

⑈ 25 14 27 ⑈ 00000 20001: 00055 2⑈ 16

